

भारतीय लोकतंत्र में चुनावी सुधारों की आवश्यकता : एक अध्ययन

डॉ. राजकुमार सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर - राजनीति विज्ञान

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय फतेहाबाद, आगरा

सारांश

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहाँ शासन व्यवस्था जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से संचालित होती है। लोकतंत्र की सफलता का प्रमुख आधार स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा पारदर्शी चुनाव प्रणाली होती है। चुनाव केवल प्रतिनिधियों के चयन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी, अधिकार चेतना तथा शासन के प्रति विश्वास का प्रतीक भी है। भारत में नियमित अंतराल पर चुनावों का सफल आयोजन लोकतांत्रिक परंपराओं की मजबूती को दर्शाता है, किन्तु समय के साथ चुनावी प्रक्रिया अनेक चुनौतियों से भी प्रभावित हुई है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चुनावी राजनीति में धनबल, बाहुबल, जातीय ध्रुवीकरण, धार्मिक प्रभाव तथा आपराधिक प्रवृत्ति के उम्मीदवारों की बढ़ती भागीदारी लोकतंत्र की गुणवत्ता को प्रभावित कर रही है। चुनावी व्यय में निरंतर वृद्धि तथा मतदाताओं को प्रभावित करने के विभिन्न साधनों ने चुनावों की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न खड़े किए हैं। इन परिस्थितियों में चुनावी सुधारों की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की जा सके और जनप्रतिनिधित्व की गुणवत्ता को सुदृढ़ बनाया जा सके।

यह शोध-पत्र भारतीय लोकतंत्र में चुनावी सुधारों की आवश्यकता, वर्तमान चुनाव प्रणाली की समस्याओं तथा सुधार संबंधी संभावित उपायों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन का उद्देश्य चुनाव प्रणाली को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी तथा जनहितकारी बनाने के लिए आवश्यक सुधारों की पहचान करना है।

मुख्य शब्द: लोकतंत्र, चुनाव प्रणाली, चुनावी सुधार, राजनीतिक भागीदारी, पारदर्शिता

1. प्रस्तावना

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, जहाँ शासन व्यवस्था जनता द्वारा, जनता के लिए तथा जनता के माध्यम से संचालित होती है। भारतीय लोकतंत्र की सफलता का मूल आधार स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा पारदर्शी चुनाव प्रणाली है। चुनाव प्रक्रिया नागरिकों को शासन निर्माण में प्रत्यक्ष भागीदारी का अवसर प्रदान करती है तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को व्यवहारिक रूप में स्थापित करती है। इस दृष्टि से चुनाव केवल राजनीतिक प्रक्रिया नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा माने जाते हैं।

भारतीय संविधान निर्माताओं ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था प्रदान की, जिसके माध्यम से प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में नियमित अंतराल पर चुनाव आयोजित किए जाते रहे हैं, जिसने लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत आधार प्रदान किया है। निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्था ने चुनावों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके कारण भारत में लोकतंत्र निरंतर सक्रिय और जीवंत बना हुआ है।

हालाँकि समय के साथ सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों में व्यापक परिवर्तन हुए हैं, जिनका प्रभाव चुनावी प्रक्रिया पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वर्तमान चुनाव प्रणाली अनेक

चुनौतियों का सामना कर रही हैं, जैसे धनबल का बढ़ता प्रभाव, बाहुबल का उपयोग, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की भागीदारी, जातीय एवं धार्मिक ध्रुवीकरण, चुनावी भ्रष्टाचार तथा मतदाताओं को प्रभावित करने के विभिन्न अनैतिक उपाय। ये समस्याएँ लोकतंत्र की मूल भावना को कमजोर करती हैं तथा जनप्रतिनिधित्व की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं।

आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव केवल प्रतिनिधियों के चयन का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि यह राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, सत्ता संघर्ष तथा जनमत निर्माण की जटिल प्रक्रिया बन चुका है। चुनावों में अत्यधिक वित्तीय व्यय, राजनीतिक दलों की अपारदर्शी वित्तीय व्यवस्था तथा चुनाव प्रचार के बदलते स्वरूप ने लोकतांत्रिक समानता के सिद्धांत को चुनौती दी है। परिणामस्वरूप सामान्य एवं योग्य नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी सीमित होती जा रही है, जो लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

तकनीकी विकास और संचार माध्यमों के विस्तार ने चुनावी प्रक्रिया को नई दिशा प्रदान की है। इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली, डिजिटल प्रचार, सामाजिक माध्यमों का उपयोग तथा सूचना प्रौद्योगिकी ने चुनावों को अधिक प्रभावशाली बनाया है, किंतु इसके साथ ही दुष्प्रचार, भ्रामक सूचना तथा मतदाता मनोविज्ञान को प्रभावित करने जैसी नई चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई हैं। इसलिए बदलते समय के अनुरूप चुनावी प्रणाली में सुधार अत्यंत आवश्यक हो गया है, जिससे लोकतंत्र की विश्वसनीयता और पारदर्शिता बनी रह सके।

भारतीय लोकतंत्र की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि चुनाव प्रक्रिया कितनी निष्पक्ष, पारदर्शी तथा उत्तरदायी है। यदि चुनाव प्रणाली में असमानता, भ्रष्टाचार या अविश्वास की स्थिति उत्पन्न होती

है, तो जनता का लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास कमजोर होने लगता है। अतः चुनावी सुधार लोकतंत्र की गुणवत्ता को बनाए रखने तथा जनप्रतिनिधित्व को अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए अनिवार्य हो जाते हैं।

चुनावी सुधारों का उद्देश्य केवल प्रशासनिक परिवर्तन करना नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाना, राजनीतिक नैतिकता को बढ़ावा देना तथा नागरिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना भी है। पारदर्शी चुनाव व्यवस्था, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों पर नियंत्रण, राजनीतिक दलों की जवाबदेही तथा मतदाता जागरूकता जैसे उपाय लोकतंत्र को अधिक प्रभावी बना सकते हैं।

वर्तमान वैश्वीकरण एवं सामाजिक परिवर्तन के युग में लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि चुनाव प्रणाली समयानुकूल सुधारों को स्वीकार करे। चुनावी सुधार न केवल राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करते हैं, बल्कि सुशासन, उत्तरदायित्व तथा जनकल्याणकारी नीतियों के निर्माण में भी सहायक सिद्ध होते हैं।

अतः भारतीय लोकतंत्र में चुनावी सुधारों की आवश्यकता का अध्ययन अत्यंत प्रासंगिक विषय है। प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य चुनाव प्रणाली की वर्तमान चुनौतियों का विश्लेषण करते हुए यह समझना है कि किस प्रकार प्रभावी चुनावी सुधार लोकतांत्रिक व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, पारदर्शी तथा जनोन्मुख बना सकते हैं।

2. अध्ययन के उद्देश्य

1. भारतीय चुनाव प्रणाली की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना।
2. चुनाव प्रक्रिया में विद्यमान प्रमुख समस्याओं का विश्लेषण करना।

3. चुनावी सुधारों की आवश्यकता का मूल्यांकन करना।
4. लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु सुधारात्मक उपाय सुझाना।

3. भारतीय चुनाव प्रणाली की प्रमुख समस्याएँ

3.1 धनबल का प्रभाव

भारतीय चुनावों में अत्यधिक धन व्यय एक गंभीर समस्या बन चुकी है। चुनाव प्रचार, जनसभाओं, मीडिया प्रचार तथा मतदाताओं को प्रभावित करने के विभिन्न तरीकों पर भारी आर्थिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। इससे आर्थिक रूप से सक्षम उम्मीदवारों को अनुचित लाभ प्राप्त होता है और सामान्य पृष्ठभूमि के योग्य उम्मीदवार चुनावी प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाते हैं।

धनबल का बढ़ता प्रभाव लोकतंत्र की समान अवसर की अवधारणा को कमजोर करता है। चुनावी खर्च की वास्तविक सीमा का पालन न होना तथा अवैध वित्तीय स्रोतों का उपयोग राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। परिणामस्वरूप चुनाव जनसेवा के बजाय आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन बनते जा रहे हैं।

3.2 बाहुबल और अपराधीकरण

राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की बढ़ती भागीदारी लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती है। कई क्षेत्रों में मतदाताओं को भय, दबाव या प्रभाव के माध्यम से मतदान के लिए प्रेरित किया जाता है। इससे स्वतंत्र मतदान की प्रक्रिया प्रभावित होती है।

राजनीति का अपराधीकरण शासन व्यवस्था की नैतिकता को कमजोर करता है तथा कानून के शासन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। लोकतंत्र की गुणवत्ता तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब राजनीति में स्वच्छ छवि वाले प्रतिनिधियों की भागीदारी बढ़े।

3.3 जातीय एवं धार्मिक धुवीकरण

चुनावों में जाति एवं धर्म आधारित राजनीति का प्रयोग मतदाताओं को विभाजित करता है। राजनीतिक दल कई बार विकास संबंधी मुद्दों के स्थान पर पहचान आधारित राजनीति को प्राथमिकता देते हैं। इससे सामाजिक समरसता प्रभावित होती है तथा लोकतांत्रिक मूल्यों का हास होता है।

ऐसी प्रवृत्तियाँ राष्ट्रीय एकता के लिए भी चुनौती उत्पन्न करती हैं और लोकतंत्र को विचार आधारित व्यवस्था के स्थान पर भावनात्मक प्रतिस्पर्धा में परिवर्तित कर देती हैं।

4. चुनावी सुधारों की आवश्यकता

चुनावी सुधार लोकतंत्र की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया नागरिकों के विश्वास को मजबूत करती है तथा शासन व्यवस्था को अधिक उत्तरदायी बनाती है। यदि चुनाव निष्पक्ष और प्रभावी होंगे, तो जनप्रतिनिधि वास्तविक जनहित को प्राथमिकता देंगे।

सुधारों के माध्यम से चुनावी व्यय नियंत्रण, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की रोकथाम, राजनीतिक दलों की वित्तीय पारदर्शिता तथा मतदाता जागरूकता को बढ़ाया जा सकता है। इससे लोकतंत्र की गुणवत्ता में सुधार संभव होगा और शासन व्यवस्था अधिक जनोन्मुख बनेगी।

5. चुनावी सुधारों की आवश्यकता

भारतीय लोकतंत्र की प्रभावशीलता और स्थायित्व चुनाव प्रणाली की निष्पक्षता तथा पारदर्शिता पर निर्भर करता है। लोकतंत्र में चुनाव केवल प्रतिनिधियों के चयन की प्रक्रिया नहीं होते, बल्कि यह जनता की संप्रभुता की अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम भी हैं। यदि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता, समान अवसर तथा नैतिकता का अभाव हो जाता है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता प्रभावित होने लगती है। वर्तमान समय में भारतीय चुनाव प्रणाली अनेक संरचनात्मक तथा व्यवहारिक चुनौतियों का सामना कर रही है, जिसके कारण व्यापक चुनावी सुधारों की आवश्यकता अनुभव की जा रही है।

सबसे महत्वपूर्ण समस्या चुनावों में धनबल के बढ़ते प्रभाव की है। चुनाव लड़ने की प्रक्रिया अत्यधिक खर्चीली होती जा रही है, जिसके कारण सामान्य आर्थिक पृष्ठभूमि वाले योग्य नागरिक राजनीति में प्रवेश करने से वंचित रह जाते हैं। राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार पर अत्यधिक धन व्यय किए जाने से राजनीतिक प्रतिस्पर्धा असमान हो जाती है। इससे लोकतंत्र में समान अवसर का सिद्धांत कमजोर पड़ता है और राजनीति में आर्थिक शक्ति का वर्चस्व स्थापित होने लगता है। इसलिए चुनाव व्यय की पारदर्शिता तथा वित्तीय नियंत्रण से संबंधित सुधार अत्यंत आवश्यक हैं।

इसके अतिरिक्त चुनावों में बाहुबल और आपराधिक तत्वों की बढ़ती भागीदारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए गंभीर चुनौती प्रस्तुत करती है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों का जनप्रतिनिधि के रूप में चयन शासन व्यवस्था की नैतिकता और जनविश्वास दोनों को प्रभावित करता है। जब कानून निर्माण की जिम्मेदारी ऐसे व्यक्तियों के हाथों में पहुँचती है, तब लोकतंत्र की गुणवत्ता पर प्रश्नचिह्न लगना स्वाभाविक है। अतः उम्मीदवारों की पात्रता, आपराधिक मामलों की पारदर्शी जानकारी तथा कानूनी प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करना चुनावी सुधार का महत्वपूर्ण पक्ष बन जाता है।

चुनावी प्रक्रिया में जाति, धर्म, भाषा तथा क्षेत्रीय भावनाओं का राजनीतिक उपयोग भी लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराओं के विपरीत है। मतदाताओं को सामाजिक पहचान के आधार पर विभाजित करने से राष्ट्रीय एकता तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को क्षति पहुँचती है। चुनावों का उद्देश्य विकास, नीति निर्माण तथा जनकल्याण होना चाहिए, किंतु पहचान आधारित राजनीति चुनावी विमर्श को सीमित कर देती है। इस स्थिति को नियंत्रित करने हेतु आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन तथा राजनीतिक जवाबदेही को मजबूत बनाना आवश्यक है।

आधुनिक समय में सूचना प्रौद्योगिकी और सामाजिक माध्यमों के बढ़ते प्रभाव ने चुनावी प्रक्रिया को नई दिशा प्रदान की है। डिजिटल प्रचार ने मतदाताओं तक सूचना पहुँचाने की प्रक्रिया को सरल बनाया है, परंतु इसके साथ भ्रामक सूचनाओं, दुष्प्रचार तथा जनमत को प्रभावित करने की प्रवृत्तियाँ भी बढ़ी हैं। गलत सूचनाएँ लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए डिजिटल चुनाव प्रचार के नियमन तथा सूचना की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए नए नीतिगत सुधारों की आवश्यकता है।

मतदाता सहभागिता भी चुनावी सुधारों से जुड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है। अनेक क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रहता है, जो लोकतांत्रिक भागीदारी की सीमाओं को दर्शाता है। मतदाता शिक्षा, जागरूकता कार्यक्रम तथा मतदान प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाकर नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। जब अधिक संख्या में नागरिक चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तब लोकतंत्र अधिक प्रतिनिधिक और सशक्त बनता है।

राजनीतिक दलों की आंतरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था का अभाव भी चुनाव प्रणाली की एक प्रमुख समस्या है। उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा आंतरिक लोकतंत्र की कमी के कारण योग्य नेतृत्व का

विकास बाधित होता है। राजनीतिक दल लोकतंत्र की आधारभूत इकाई होते हैं, अतः उनमें लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन सुनिश्चित करना चुनावी सुधारों का आवश्यक अंग है।

इसके अतिरिक्त चुनाव प्रबंधन प्रणाली को अधिक प्रभावी, तकनीकी रूप से सुरक्षित तथा प्रशासनिक दृष्टि से सक्षम बनाना भी आवश्यक है। मतदान प्रक्रिया की विश्वसनीयता, मतगणना की पारदर्शिता तथा निर्वाचन संस्थाओं की स्वतंत्रता लोकतंत्र के प्रति जनता के विश्वास को सुदृढ़ करती है। निर्वाचन आयोग को अधिक स्वायत्तता और संसाधन उपलब्ध कराना चुनाव सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि चुनावी सुधार केवल राजनीतिक आवश्यकता नहीं बल्कि लोकतंत्र की दीर्घकालिक स्थिरता और गुणवत्ता से जुड़ा हुआ विषय है। प्रभावी चुनावी सुधार लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुए शासन प्रणाली को अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी तथा जनोन्मुख बना सकते हैं।

6. निष्कर्ष

भारतीय लोकतंत्र की सफलता चुनाव प्रणाली की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर निर्भर करती है। वर्तमान समय में चुनावी प्रक्रिया अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है, जिनका समाधान व्यापक चुनावी सुधारों के माध्यम से ही संभव है। लोकतंत्र केवल चुनाव कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जनविश्वास, उत्तरदायित्व तथा नैतिक राजनीतिक आचरण पर आधारित व्यवस्था है।

यदि चुनावी सुधारों को प्रभावी रूप से लागू किया जाता है, तो राजनीति में स्वच्छता, पारदर्शिता तथा जनभागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। इससे लोकतंत्र अधिक सशक्त, उत्तरदायी तथा जनकल्याणकारी बन

सकेगा। अतः भारतीय लोकतंत्र की स्थिरता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए चुनावी सुधार समय की अनिवार्य आवश्यकता है।

संदर्भ सूची

1. बसु, दुर्गादास. (2018). *भारत का संविधान : एक परिचय*. नई दिल्ली: लेक्सिसनेक्सिस प्रकाशन।
2. कश्यप, सुभाष सी. (2016). *भारतीय राजनीति और संविधान*. नई दिल्ली: नेशनल बुक ट्रस्ट।
3. सिंह, एम. पी., एवं रॉय, रेखा सक्सेना. (2017). *भारतीय राजनीतिक व्यवस्था*. नई दिल्ली: पीयरसन प्रकाशन।
4. कोठारी, रजनी. (2012). *भारत में राजनीति*. नई दिल्ली: ओरिएंट ब्लैकस्वान।
5. यादव, योगेन्द्र. (2015). *भारतीय लोकतंत्र का पुनर्विचार*. नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन।
6. वर्मा, एस. पी. (2014). *आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत*. नई दिल्ली: विकास प्रकाशन।
7. शर्मा, प्रभुदत्त. (2013). *भारतीय शासन और राजनीति*. नई दिल्ली: कॉलेज बुक डिपो।

8. अरोड़ा, बलवीर, एवं गोयल, दीपक. (2019). *भारतीय राजनीतिक प्रणाली*. नई दिल्ली: मैक्ग्रा हिल एजुकेशन।
9. निर्वाचन आयोग भारत. (2020). *भारत में चुनाव प्रबंधन रिपोर्ट*. नई दिल्ली: भारत सरकार प्रकाशन।
10. भारत सरकार. (2019). *चुनाव सुधार संबंधी विधि आयोग रिपोर्ट*. नई दिल्ली: विधि एवं न्याय मंत्रालय।
11. जैन, आर. बी. (2011). *लोक प्रशासन और लोकतंत्र*. जयपुर: रावत प्रकाशन।
12. मिश्रा, एस. एन. (2010). *भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियाँ*. नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन।
13. पांडेय, रामआसरे. (2018). *भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया*. इलाहाबाद: केंद्रीय हिंदी संस्थान।
14. चौधरी, आर. एस. (2016). *भारतीय चुनाव प्रणाली और सुधार*. नई दिल्ली: ग्रंथ शिल्पी प्रकाशन।



15. कुमार, संजय. (2021). *भारत में मतदान व्यवहार और लोकतंत्र*. नई दिल्ली:
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।